कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के वाह्य न्यायालय सिकन्द्राराऊ के वृक्षों नीलामी एवं जनपद न्यायालय हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी चाय कैन्टीन की दुकान को वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

01. जनपद न्यायालय हाथरस के वाह्य न्यायालय सिकन्द्राराऊ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अधिकृत भूमि की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में बाधक खसरा सं० 1183/1 में से 5 एकड़ भूमि स्थित जी०टी० रोड सिकन्द्राराऊ में कुल 794 वृक्षों की नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

02. जनपद न्यायालय हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए वार्षिक ठेके पर उठाये जाने हेतु नीलामी की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्त की नीलामी की कार्यवाही के लिए जनपद न्यायालय हाथरस में दिनाँक 15.04.2017 दिन शनिवार समय 1:30 बजे नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु नियत दिनाँक एवं समय पर केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है।

(अल्ला रक्खे खाँ)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
20.03.17

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

जनपद न्यायाधीश
हाथरस।
21.03.17

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

पेड़ों की इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय हाथरस के वाह्य न्यायालय सिकन्द्राराऊ के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अधिकृत भूमि की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण में बाधक खसरा सं० 1183/1 में से 5 एकड़ भूमि स्थित जी०टी० रोड, सिकन्द्राराऊ में कुल 794 वृक्षों की नीलामी की बोली बोलने हेतु दिनाँक 15.04.2017 दिन शनिवार को दोपहर 1:30 नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में सिविल जज (क०प्र०), सिकन्द्राराऊ एवं केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, हाथरस से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. ठेकेदार नियमानुसार आयकर, व्यापार कर एवं स्टाम्प शुल्क अदा करेगा।
03. प्रकाष्ठ की नीलामी से पूर्व ठेकेदार प्रभागीय वन अधिकारी, हाथरस अथवा वन क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ कार्यालय में नियमानुसार अभिवहन शुल्क व हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करेगा।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
22.03.17

प्रतिलिपि–

01. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. वाह्य न्यायालय, सिकन्द्राराऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका, सिकन्द्राराऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05 उप जिलाधिकारी, सिकन्द्राराऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
06 मुनादी कराये जाने हेतु।
07. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
08. तहसील सिकन्द्राराऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
22.03.17

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

पेड़ों की नीलामी की आवश्यक शर्तें:–

01. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम बोली की स्वकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

02. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू० 20,000/– नकद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

03. समस्त 794 वृक्षों की नीलामी न्यूनतम निर्धारित मूल्य 1,65,000/– रू० है।

04. क्रेता द्वारा नियमानुसार आयकर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क एवं प्रकाष्ठ की निकासी से पूर्व वन क्षेत्राधिकारी, सिकन्द्राराऊ के कार्यालय में नियमानुसार अभिवहन शुल्क व हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा।

05. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जो उक्त धनराशि जमा करेगा।

06. नीलामी होने वाले पेड़ों की नीलामी से दो दिन पूर्व दिनांक 13.04.17 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:00 बजे तक वाह्य न्यायालय सादाबाद के निकट स्थित स्थल पर उक्त पेड़ों का निरीक्षण किया जा सकता है।

07. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त पेड़ों का पूर्व निरीक्षण कर लें।

08. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली का 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

09. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा बोली निरस्त कर के जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं पेड़ों को पुनः नीलाम किया जायेगा।

10. नीलामी की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक पेड़ों पर जनपद न्यायालय, हाथरस प्रशासन का ही अधिकार होगा।

11. बोली लगाने वाले व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

12. नीलाम किये गये पेड़ों की उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी। जब तक उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया हो।

13. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को पेड़ों का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त सं0 12 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल पेड़ों का हटाना होगा।

14. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो श्रीमान जनपद न्यायाधीश, हाथरस द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

15. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

(अल्ला रक्खें खॉं)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
22.03.17

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

इश्तहार नीलामी चाय कैन्टीन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनाँक 15.04.2017 दिन शनिवार को दोपहर 1:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये केन्द्रीय नाज़िर से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू0 20,000/– (बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, नियमानुसार अन्डरटेकिंग देनी होगी।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
22.03.17

प्रतिलिपि–

01. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05. मुनादी कराये जाने हेतु।
06. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
07. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
22.03.17

<u>कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।</u>

चाय कैन्टीन की नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/–(बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नही होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
29.03.17